न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 07/20 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2020/00059

अनवान्

1. श्रीमती गणेशीबाई पुत्री मोती डांगी निवासी वांगरोदी तहसील मावली।

..............प्रार्थीया

बनाम

1. श्री मगना उर्फ मगनीया पिता मोती डांगी निवासी गणेशपुरा धोलीमगरी तहसील मावली।
2. श्री केवलराम पिता कालु डांगी निवासी गणेशपुरा धोलीमगरी तहसील मावली।
3. श्री कन्ना पिता पुरा डांगी निवासी गुडली तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
4. श्री बाबुलाल पिता सवा डांगी निवासी गणेशपुरा धोलीमगरी तहसील मावली।
5. श्रीमती प्रेमीबाई पत्नी कैलाश डांगी निवासी गणेशपुरा धोलीमगरी तहसील मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
7. उप पंजीयक महोदय, उप पंजीयक कार्यालय मावली तहसील मावली।
8. पटवारी, पटवार हल्का धोलीमगरी तहसील मावली।

................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री लक्ष्मीलाल रेगर, अधिवक्ता प्रार्थीया।

2. श्री कल्याणसिंह चुण्डावत, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 से 4

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 17.02.2026

1. प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा गणेशपुरा पटवार हल्का धोलीमगरी तहसील घासा के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 80 रकबा 2 बिस्वा, परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 147 रकबा 4 बिस्वा, परिशिष्ट स में वर्णित आराजी नम्बर 74, 85, 91, 150, 151, 159, 205, 216 किता 8 कुल रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, परिशिष्ट द में वर्णित आराजी नम्बर 206, 207, 208 किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, परिशिष्ट घ में वर्णित आराजी नम्बर 214 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, परिशिष्ट ड में वर्णित आराजी नम्बर 182 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, परिशिष्ट छ में वर्णित आराजी नम्बर 114, 115, 92 किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा भूमि पूर्व में मोती पिता मोडा जी डांगी के नाम दर्ज थी। उक्त वर्णित अ से छ तक की आराजीयात वर्तमान में विपक्षी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:39:17 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 से 5 के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज हैं। खातेदार नारायण व भगा अविवाहित फौत हो चुके हैं।

2. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीया की पैतृक होकर प्रार्थीया के पिता मोती जी डांगी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की थी, मोती जी डांगी का सजरा खानदान निम्नानुसार है :–

मोती पिता मोडा जी डांगी

नारायण	भगा	मगना उर्फ मगनीया	गणेशीबाई
पुत्र,अविवाहित,फौत	पुत्र,अविवाहित,फौत	पुत्र	पुत्री

मोती जी डांगी का करीब 50 वर्ष पूर्व निधन हो चुका है मोती जी की मृत्यु बाद उक्त सम्पूर्ण आराजीयात में विरासत से प्रार्थीया को कोई हिस्सा नहीं मिला तथा नारायण, भगा व मगना उर्फ मगनीया को हिस्सा मिला हैं। वर्तमान में खातेदार नारायण व भगा अविवाहित फौत हो चुके हैं। जिनके वारिस मगना उर्फ मगनीया व गणेशी बाई वर्तमान में जीवित हैं।

3. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात पूर्व में मुझ प्रार्थीया के पिता मोती जी डांगी पिता मोडा डांगी के नाम पर सम्वत् 2033 से 2036 की राजस्व जमाबन्दी में दर्ज थी जो मुझ प्रार्थीया की पैतृक सम्पति है और जिसमें मुझ प्रार्थीया को जन्म से हक एवं अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। मुझ प्रार्थीया के पिता मोती जी डांगी का स्वर्गवास होने के बाद राजस्व अधिकारियों द्वारा जो विरासत का नामान्तरण खोला गया उसमें मुझ प्रार्थीया का नाम अंकित नहीं कर अन्य पुत्रों नारायण, भगा व मगना उर्फ मगनीया के नाम दर्ज कर नामान्तरण स्वीकृत कर दिया गया। राजस्व अधिकारियों को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था जबकि मोती जी की मैं प्रार्थीया गणेशी बाई जायन्दा पुत्री होकर विधिक वारिस एवं उत्तराधिकारी हूं और मुझ प्रार्थीया का मोती जी की जमीन में अन्य वारिसान के बराबर–बराबर हक व हिस्सा है लेकिन उक्त वर्णित भूमियों के राजस्व रेकार्ड में मुझ प्रार्थीया का नाम अंकित नहीं होने से मुझ प्रार्थीया को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है और मैं प्रार्थीया अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग भी नहीं कर पा रही हूं।

4. यह कि उक्त पैतृक सम्पति में विरासत का नामान्तरण खोला गया उसमें मुझ प्रार्थीया के अनपढ होने से मुझ प्रार्थीया का नाम अंकित नहीं कर अन्य पुत्रों नारायण, भगा व मगना उर्फ मगनीया के नाम दर्ज कर नामान्तरण स्वीकृत कर दिया गया। इसका नाजायज लाभ उठाते हुए एवं मुझ प्रार्थीया को अपना हिस्सा नहीं देने की नियत से मगना उर्फ मगनीया और नारायण ने अपनी जमीन हिस्सा विपक्षी संख्या 2 से 4 को जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:39:17 IST
Reason: SelfAttested

विक्रय पत्र बेच दिया तत्पश्चात् विपक्षी संख्या 2 ने वापस अपनी जमीन का कुछ हिस्सा विपक्षी संख्या 5 को जरिये विक्रय पत्र बेच दिया। इसलिए मैं वादीया वाद पत्र में वर्णित पैतृक कृषि भूमि में विपक्षी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम पर खातेदारी हक की घोषणा करा राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने की अधिकारी हूं। इसलिए माननीय न्यायालय आपमें यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

5. यह कि मुझ प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मजबूत मामला है क्योंकि उक्त वर्णित भूमिया मुझ प्रार्थीया की पैतृक सम्पति है तथा खातेदार नारायण व भगा का भी निधन हो चुका है लेकिन उक्त भूमि में निहित मेरा हिस्सा मेरे नाम पर दर्ज नहीं होकर विपक्षी संख्या 1 से 5 के नाम पर अंकित है जिस पर वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 5 ही कृषि कार्य कर रहे हैं। जिससे मुझ प्रार्थीया को अपने हिस्से की भूमि को प्राप्त करने में भारी कठिनाईयों एवं दिक्कतों का सामना करना पड रहा है तथा भूमि को विकसित करने के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त करने एवं बैंक, वित्तीय संस्था से ऋण इत्यादि भी प्राप्त नहीं कर पा रही हूं। इसलिए मैं वादीया उक्त पैतृक सम्पति में अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम पर घोषणा करा राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने की अधिकारी हूं। मुझ प्रार्थीया का नाम रेकार्ड में अंकित नहीं होने से मैं प्रार्थीया अपने जायज हक अधिकारों से महरूम हो जाऊंगी जिससे मुझ प्रार्थीया को भारी अशोधनीय क्षति एवं असुविधा होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में आंकना सम्भव नहीं होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ प्रार्थीया के पक्ष में हैं।

6. यह कि मुझ प्रार्थीया को विपक्षीगण के विरूद्व वाद कारण दिनांक 06.12.2019 को उत्पन्न हुआ। मुझ प्रार्थीया ने विपक्षी संख्या 1 को मेरे हिस्से की जमीन मेरे नाम पर अंकित कराने को कहा तो विपक्षी संख्या 1 ने बची हुई समस्त जमीन को बेचने व खुर्द बुर्द करने की धमकी दी एवं कोर्ट से कार्यवाही करवाकर रेकार्ड में नाम अंकित करवाने की बात कही, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। विपक्षी संख्या 1 विधिक वारिसान होने से विपक्षी संख्या 2 से 5 द्वारा भूमि क्रय करने से विपक्षी संख्या 6 दस्तावेज पंजीयन कराते है विपक्षी संख्या 7 राजस्व रेकार्ड मेन्टेन करते है एवं विपक्षी संख्या 8 भूमिधारी होने से सभी आवश्यक पक्षकार होने से वाद में पक्षकार बनाये गये है। चूंकि विपक्षी संख्या 6 से 8 राजकीय सेवक है जिन्हे वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 जा.दी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु हस्तगत प्रार्थना पत्र आवश्यक प्रकृति का होने से एवं नोटिस देने से वाद प्रस्तुती में विलम्ब हो जाने की वजह से नोटिस दिये

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:39:17 IST
Reason: SelfAttested

बिना वाद प्रस्तुत करने की स्वीकृति के लिये प्रार्थना पत्र धारा 80(2) जा.दी. का अलग से आप न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया हैं।

7. अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीया के पक्ष में विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की डिक्री प्रदान करायी जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में विपक्षी संख्या 1 से 5 एवं मृतक खातेदार नारायण पिता मोती व भगा पिता मोती के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में मुझ प्रार्थीया को हिस्सेनुसार भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इसी अनुसार मुझ वादीया का नाम राजस्व रेकार्ड खेवट खतौनी जमाबन्दी में अंकन कराये जाने की डिक्री फरमाई जावे। अन्य दादरसी प्रार्थीया कानूनन जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 209 के अनुसार प्राप्त करने की अधिकारी हो वह प्रदान कराई जावें।

8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1, 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी संख्या 2 से 5 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि खातेदार को राजस्व रेकार्ड में अपने नाम अंकित हक हिस्सा कृषि भूमि विक्रय एवं अन्य प्रकार से हस्तान्तरण करने का पूर्ण हक एवं अधिकार प्राप्त हैं। हम विपक्षीगण द्वारा विक्रय प्रतिफल राशि अदा कर भूमि खरीद की गई जिसका हम प्रतिवादीगण के पक्ष में विक्रय पत्र का विधिवत पंजीयन हो उक्त खरीदशुदा भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद पश्चात् विधिवत् हम विपक्षीगण के नाम विक्रय नामान्तरण उपरान्त राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई है तथा हम विपक्षीगण के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित किया गया व विक्रयशुदा हिस्सा कृषि भूमि का मौके पर हम विपक्षीगण को भौतिक आधिपत्य सुपुर्द किया गया। हम विपक्षीगण खरीदशुदा हिस्सा भूमि पर खरीद पश्चात् निरन्तर निर्विवाद काबिज हो काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। हम विपक्षीगण की खरीदशुदा हिस्सा भूमि में प्रार्थीया का कोई हक स्वत्व, अधिकार आधिपत्य नहीं है तथा न ही कभी रहा है। प्रार्थीया ने उक्त प्रार्थना पत्र में सभी तथ्य गलत व झुठे अंकित किए है, जिससे भी प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होकर खारिज होने योग्य हैं।

9. यह कि प्रार्थीया का कोई मजबूत प्रथम दृष्टया मामला नहीं हैं तथा न ही सुविधा संतुलन एवं अशोधनीय क्षति के बिन्दू ही प्रार्थीया के पक्ष में है क्योंकि खरीदशुदा भूमि पर हम विपक्षीगण का खरीद पश्चात् निरन्तर निर्विवाद स्वामित्व अधिकार आधिपत्य एवं कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीया को विपक्षीगण के स्वामित्व हिस्से व कब्जे उपभोग में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करने का कोई विविध अधिकार नहीं है, न ही घोषणा का कोई अधिकार ही हैं। प्रार्थीया का हम विपक्षीगण की खरीदशुदा भूमि पर कोई कब्जा अधिकार नहीं है। प्रार्थीया ने सारे तथ्य गलत एवं अंकित किए हैं। हम विपक्षीगण के विरूद्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:39:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीया को कोई प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 06.12.2019 को उत्पन्न नहीं हुआ हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीया हम विपक्षीगण के विरूद्व किसी भी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारीणी नहीं हैं। प्रार्थीया को हम विपक्षीगण के स्वामित्व व हिस्से कब्जे उपभोग में दखलन्दाजी उत्पन्न करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है एवं जब तक प्रार्थीया हम विपक्षीगण के पक्ष में निष्पादित व पंजीकृत विक्रय के दस्तावेजो को सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करा ले तब तक प्रार्थीया को हम विपक्षीगण के विरूद्व वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं हैं। प्रार्थीया ने हम विपक्षीगण जो भूमि के रेकार्डेड खातेदार है, के विरूद्व गलत एवं झुठा वाद पेश किया है जिससे भी प्रार्थीया हम विपक्षीगण के विरूद्व किसी भी प्रकार की रिलीफ प्राप्ति की अधिकारिणी नहीं हैं। प्रार्थीया का वाद एवं प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज होने योग्य होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

10. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 से 4 द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

11. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार है :–

1. *प्रथम दृष्टया मामला*– प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1 से 5 व अन्य सहखातेदार के नाम संयुक्त रूप से खातेदारी हक से दर्ज है। प्रार्थीया उक्त भूमि की वर्तमान में खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थीया द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थीया का कथन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि मौरूसी सम्पति है मौरूसी सम्पति में मेरा भी हक हिस्सा निहित है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 5 के नाम संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार दर्ज हैं। वादग्रस्त भूमि में विपक्षी संख्या 2 से 5 का नाम भूमि क्रय करने से दर्ज हुआ।

प्रार्थीया का कथन है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 के पिता मोती के नाम दर्ज थी जो विपक्षी [illegible] 1 के नाम दर्ज हुई परन्तु प्रार्थीया द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:39:17 IST
Reason: SelfAttested

उक्त कथन के सन्दर्भ में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम किस आधार पर दर्ज हुई।

प्रार्थीया का कथन है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया की मौरूसी सम्पति है परन्तु प्रार्थीया द्वारा उक्त कथन के सन्दर्भ में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि वादग्रस्त भूमि पीढी दर पीढी मौरूस के नाम दर्ज चली आ रही हों।

विपक्षी संख्या 1 HUF कर्ता खानदान होने से अपनी जायज जरूरतो की पूर्ति हेतु विपक्षी संख्या 1 को अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को विक्रय हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार हैं। विपक्षी संख्या 2 से 5 द्वारा वादग्रस्त भूमि को पूर्णप्रतिफल अदा कर क्रय किया। विपक्षी संख्या 2 से 5 सद्भावी क्रेता हैं। वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 5 एवं अन्य सहखातेदार के नाम संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार दर्ज हैं। ऐसी स्थिति में खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे खातेदार को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया उक्त बिन्दू को अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रही हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीया खातेदार काश्तकार नहीं होकर विपक्षी संख्या 1 से 5 एवं अन्य सहखातेदार संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार हैं। यदि वर्तमान खातेदारो के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है। तो उनको अपने परिवार के पालन पोषण में कठिनाईयां उत्पन्न होगी तथा खातेदारों को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीया के विरूद्व साबित होने से सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीया के विरूद्व साबित होता हैं। अतः सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थीया के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।

3. ***अपूरणीय क्षति का बिन्दू–*** चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी सं. 1 से 5 एवं अन्य सहखातेदार के नाम राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थीया खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाना चाहती है। खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे खातेदारो के हक अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा एवं खातेदारो को अपूरणीय क्षति होगी। विपक्षी संख्या 1 से 5 खातेदार काश्तकार होने से खातेदार को अपनी भूमि के उपयोग उपभोग का पूरा अधिकार हैं। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थीया के विरूद्व निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थीया के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:39:17 IST
Reason: SelfAttested

12. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीया द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौजा गणेशपुरा पटवार हल्का धोलीमगरी तहसील घासा के आराजी नम्बर 80 रकबा 2 बिस्वा, आराजी नम्बर 147 रकबा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 74, 85, 91, 150, 151, 159, 205, 216 किता 8 कुल रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 206, 207, 208 किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 214 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 182 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 114, 115, 92 किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1 से 5 एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं।

प्रार्थीया द्वारा अपनी पैतृक सम्पति में हिस्से की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया का कथन है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया की पैतृक सम्पति है प्रार्थीया के इस बिन्दू को इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से तय नहीं किया जा सकता हैं। प्रार्थीया द्वारा उठाये गये तथ्य मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किये जा सकते हैं। प्रार्थीया द्वारा ऐसा कोई ठोस कारण भी नही बताया गया जिससे यह प्रतीत होता हो की खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो। वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 5 खातेदार काश्तकार होने से खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं।

शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किये जावेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थीया के विरूद्व साबित हुए हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:39:17 IST
Reason: SelfAttested